

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

* क्रमांक : प.4 (15022)विधि/अपील/अधि./2015/

दिनांक :-

विषय:- 1. अपील संख्या 47/2015

: आदेश :

2. डॉ हेमत कुमार डागर (चिव030) बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।
3. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर। (आदेशों की प्रतीक्षा करने से संबंधित)

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम 5 वर्ष 1908) के आदेश xxvii के नियम 1 एवं 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल गहोदय की ओर से उक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में राजस्थान सरकार व अन्य की ओर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), अलवर को केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

प्रभारी अधिकारी को यह व्यादिष्ट किया जाता है कि वे राजस्थान विधि एवं वैधिक कार्य विभाग नियमावली 1999 में सम्पादित करेंगे:-

1. प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में तत्काल आवश्यक जानकारी एवं आगामी तारीख पेशी ज्ञात करके राजकीय अधिकरता से सम्पर्क कर न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
2. न्याय विभाग को प्रपत्र ALERT LETTER की सूचना तत्काल प्रेषित करेंगे।
3. प्रकरण की विषय वस्तु से संबंधित सभी पत्रावलियाँ/ दस्तावेज़ / अधिनियम/ नियम/ विज्ञियम/ परिपत्र/ दिशा-निर्देश/ अधिसूचना/आदेश/ सूचना एवं सुसंगत तथ्य एकत्रित करेंगे।
4. प्रकरण में उठाए गए सभी तथ्य एवं बिन्दुओं पर प्रशासनिक अनुभाग से तथ्यात्मक स्थिति प्राप्त कर ऐसे तथ्यों के आधार पर प्रकरण का पैरा कमानुसार प्रतिवेदन तैयार करते हुए एवं ऐसी अतिरिक्त जानकारी अंकित करते हुए जो राजकीय अधिकरता एवं राज्यपक्ष के प्रतिरक्षण/ पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक/ सहायक हो, प्रस्तुत करेंगे।
5. प्रभारी अधिकारी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग से तथ्यात्मक विवरण प्राप्त करके राजकीय अभिभाषक को प्रकरण का ब्रीफ संलग्न विवरण एवं उपलब्ध करायेंगे जिसमें प्रकरण की पैराकमानुसार तथ्यात्मक स्थिति के अतिरिक्त प्रकरण की विषयवस्तु का दिनांकवार अधिकरण/ उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के निर्णय Annexure-A (संलग्न) List/Details of Dates and Events, Act, Rules, Notification, Circular, Guidelines etc, Courts Judgments under relevant & reference.) भी स्वयं के ज्ञान व विभाग के रिकार्डनुसार ज्ञात कर इस ब्रीफ में सम्मिलित किए जायेंगे।
6. अधिकरण में दायर किए जाने वाले अपील/ पुनर्विलोकन/ पुनरीक्षण/ विविध प्रार्थना पत्र आदि के संबंध में विभागीय तथ्यात्मक परिस्थितियों के कारण/ आधार एवं तथ्यों का अभिलेख के साथ एकत्रिकरण करेंगे, जिनके आधार पर कार्यवाही सम्पादित की जानी है।
7. उपर्युक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं सामग्री के साथ प्रभारी अधिकारी द्वारा राजकीय अधिकरता से व्यक्तिशः सम्पर्क करके लिखित एवं राजकीय अधिकरता के हस्ताक्षर करवाकर तथ्यों के सत्यापन/प्रमाणीकरण कर माननीय अधिकरण को प्रस्तुत करावें।
8. माननीय अधिकरण में पैरवी कर रहे राजकीय अधिकरता के पास प्रकरण पत्रावली परिपूर्ण एवं नवीनतम प्रगति व सूचनाओं सहित उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करेंगे।
9. प्रकरण में माननीय अधिकरण में निर्धारित की गई सुनवाई की तारीख, प्रकरण की प्रगति एवं उसमें सम्पादित होने वाली आगामी कार्यवाही से स्वयं एवं विभाग को सदैव अवगत रखेंगे।
10. प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तारीख पेशी को माननीय अधिकरण में उपरिथित होकर राजकीय अधिकरता की पैरवी करने में मदद करेंगे, साथ्य अभिलेख एवं प्रकरण की वर्तमान नवीनतम प्रगति प्रशासनिक अनुभाग संबंधित कार्यालय/ अधिकारी से ज्ञात करके माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करायेंगे। इस हेतु प्रभारी अधिकारी प्रकरण की नवीनतम जानकारी एवं प्रगति निरन्तर प्राप्त करते रहेंगे।
11. प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तारीख पेशी का कार्यवाही विवरण एवं आगामी तारीख पेशी का पत्रावली पर अंकन कर विभाग को अवगत करायेंगे और LITES के प्रपत्र 7 में आगामी तारीख का व्यक्तिः इन्ड्राजल करवायेंगे।
12. प्रभारी अधिकारी द्वारा माननीय अधिकरण से कोई आदेश, निर्देश, निर्णय पारित होने पर विभाग को उसके तथ्यों सहित उसी दिन जानकारी/ सूचना उच्चाधिकारी को देनी होगी और माननीय अधिकरण के उक्त निर्देश/ आदेश/ निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करेंगे।
13. व्याय विभाग को निर्धारित प्रपत्र Court Order Information में निर्णय की सूचना देनी होगी।
14. प्रकरण में स्वयं की रिपोर्ट और राजकीय अधिकरता की राय के साथ माननीय अधिकरण के निर्देश, आदेश, निर्णय की प्रमाणित प्रति माननीय अधिकरण से प्राप्त कर तत्काल विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
15. Case Alert, order Alert एवं reminders का प्रतिउत्तर प्रभारी अधिकारी स्वयं न्याय विभाग को प्रस्तुत कर्तव्यों और माननीय अधिकरण के निर्णय के संदर्भ में सम्पादित कार्यवाही एवं प्रगति से भी से न्याय विभाग को समय-समय पर अवगत करवाया जावेगा।
16. विभाग के विरुद्ध पारित निर्णय के संदर्भ में आगामी अपीलीय कार्यवाही में अन्य प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अथवा निर्णय की अनुपालना होने तक प्रभारी अधिकारी का दायित्व निरन्तर रहेगा।
17. प्रभारी अधिकारी अपील प्रकरणों की मौनिटरिंग हेतु न्याय विभाग की डेवेसाईट LITES के निर्धारित सभी प्रपत्रों का संधारण करेंगे एवं LITES/ Updation Center को समय – समय पर प्रकरण प्रगति व अद्यतन सूचना प्रस्तुत करेंगे।
18. प्रभारी अधिकारी का स्थानान्तरण/ सेवानिवृत्त होने की स्थिति में अथवा प्रकरण अन्य प्रभारी अधिकारी को सम्बन्धित होने पर सभी प्रकरणों की सूची, पत्रावलियाँ, अभिलेख, आगामी तारीख पेशी और उस पर माननीय अधिकरण में सम्पादित होने वाली कार्यवाही का विवरण नवीन प्रभारी अधिकारी का उपलब्ध करवाया जावेगा, अन्यथा स्थिति में अंतिम वेतन भुगतान प्रपत्र (एलपीसी) जारी नहीं होगा।
19. यदि प्रभारी अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों की उपेक्षा करता है अथवा इनके प्रति असावधान पाया जाता है तो सचिव को अनुशासनिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी बनायेगा।

निदेशक (जिम स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान, जयपुर

दिनांक :- 19/11/2015

क्रमांक : प.4 (15022)विधि/अपील/अधि./2015/168

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, मुख्यालय को अपील की छाया प्रति प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण का पैरावाईज तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रभारी अधिकारी को संदर्भ करके तारीख उपलब्ध करावें ताकि वे समय पर ज्ञानवाही निवारकता को उपरोक्त निवारकता के लिए उपलब्ध करायें।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जौन-जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित केस को प्रभारी अधिकारी/ समन्वयक आदेश संबंधित केस प्रभारी अधिकारी/ समन्वयक को तामिल करवाकर तामिल रसिद मिजवाना सुनिश्चित करें तथा प्रकरण की प्रगति को समय-समय पर लाईट्स की डेवेसाईट पर अपडेशन करवाना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
4. केस प्रभारी अधिकारी उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), अलवर को अपील की छाया प्रति प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में सम्पादित कार्यालय/ अधिकारी से सम्पर्क कर पैरावाईज तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त कर समस्त सुसंगत अभिलेख सहित प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक से पूर्व श्री राजेश निगम, स्थाई राजकीय अधिवक्ता (चिकित्सा पक्ष), राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर प्रकरण का ज्ञानवाही प्राप्ति एवं सुनवाई दिनांक से निरन्तर अवगत करायें। संलग्न: उपरोक्त निवारकता की भी प्रेषित करें। साथ ही माननीय न्यायालय में हुई कार्यवाही/ प्राप्ति एवं सुनवाई दिनांक से निरन्तर अवगत करायें। श्री राजेश निगम, स्थाई राजकीय अधिवक्ता (चिकित्सा पक्ष), राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर नो. 9414075849।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जौन-जयपुर तथा संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
6. कम्प्यूटर ऑफिसर, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
7. रक्षित/ आदेश पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर